—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :—

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :— 15/2022

उनवान

रामसिंह पुत्र हीरा सिंह जाति रावत निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामसिंह पुत्र हजारी जाति रावत निवासी ग्राम हाथीपट्टा, नसीराबाद
2. मैनेजर स्टेट बैंक आफ इंडिया श्रीनगर
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1, 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं धारा 136 भू. राज. अधि. 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 30.11.22

वाद के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम श्रीनगर में स्थित निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
4559	0—7—10	4267	0.02
		4268	0.02
4491	2—12—0	4232	0.42

उपरोक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 4559 रकबा 0—7—10 व 4491 रकबा 2—12—0 का खातेदार श्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल महा[illegible] वादी राम सिंह पुत्र हीरा सिंह जाकित रावत को दिनांक 02.06.1989 को वादी को बेचान कर कब्जा [illegible] था। उक्त विकय पत्र की पालना वंर्किग जमाबंदी में की गयी। [illegible] हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके [illegible] संख्या 1 के नाम अंकित कर दिया। जिस कारण प्रति[illegible]तनाजा पर वादी के [illegible] काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण [illegible]ने पर आमादा है। अत: खसरा नम्बर 4232, 4267 व 4268 की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:17 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गश्या। प्रतिवादी स. 1 व 2 बावजूद तामीली प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

प्रकरण में कोई खण्डन नही होने कारण तनकी कायम नही की गयी। अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि आराजी मुतनाजा वादी ने विधिक रूप से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी बिना किसी कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कर दी जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के पास रहन रख ऋण प्राप्त कर लिया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा ठोस जॉच के बिना आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी संख्या 1 को ऋण दिया है जो गैर कानूनी होने से आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावै।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 4559 रकबा 00–07–10 व 4491 रकबा 2–12–0 की आराजी वादी ने जरियें पंजीबद्ध विक्रय पत्र तत्कालीन खातेदार श्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल से क्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 27.07.89 को पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध विक्रय पत्र की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 1052 में उक्त दोनो खसरा नम्बर श्रीलाल पुत्र कन्हैयालाल के नाम दर्ज है तथा नामान्तकरण संख्या 1170 दिनांक 26.2.92 से उक्त आराजी वादी संख्या 1 के नाम विक्रय पत्र की पालना में वंर्किग जमाबंदी में अंकित की गयी। वंर्किग खाता संख्या 1052 में पूर्व में श्रीराम पुत्र घासी लिख कर काटा गया है किन्तु उक्त आराजी के चौसाला खसरा नम्बर 3700 व 3751 विक्रेता के नाम ही दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा वादी द्वारा विधिवत क्रय की तथा वंर्किग जमाबंदी में जरियें नामान्तकरण उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज की गयी। बंदोबस्त विभाग को हाल राजस्व अभिलेख में पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना था किन्तु बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी आदेश आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा बिना विधिक जॉच के उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 को ऋण प्रदान किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपनी प्रतिरक्षा हेतु उपस्थित नही हुये है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही होने से प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी पर उसे ऋण दिया जाना भी त्रुटिपूर्ण है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिसालेख व अन्य दस्तावेज से आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी आराजी मुतनाजा पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उक्त आराजी पर अपने ऋण की वसूली प्रतिवादी संख्या 1 की अन्य खातेंदारी आराजी से की जा सकती है।

अतः ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4267 रकबा 0.02, 4268 रकबा 0.02 व 4232 रकबा 0.42 की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पटवारी खाता [illegible] करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राम सिंह बनाम राम सिंह

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 एवं 136 व 131 भू राज. अधि. 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 15/2022
पेश करने की दिनांक – 21.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई, राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 4267 रकबा 0.02, 4268 रकबा 0.02 व 4232 रकबा 0.42 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 11 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प कब्जह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 13:40:17 IST
Reason: SelfAttested